2018/00414

<u>रमेश बनाम सरकार</u>

...र्थना पत्र संख्या ...18/414

17.07.2018	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र वास्ते बढाये जाने मियार अन्तर्गत धारा 148 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2004 को आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी । प्रार्थी के पिता रमेश बीमार रहते थे इसलिए उन्होंने तहसील के0 पाटन में पालना हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया और बाद में प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो गयी उस समय प्रार्थी नाबालिग था उसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी अभी विगत 07 दिन पूर्व पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण जानकारी दी गई जिस पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा दी गई दिनांक 11.03.2004 में दी गई अवधि को बढाया जाना आवश्यक है । प्रार्थी अदेशानुसार पेनेल्टी देने के लिए भी तैयार है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मियाद बढाये जाने का आदेश पारित किया जावे । हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मियाद बढाने का निवेदन किया है । समय पर पैसा जमा नहीं करवाया अब व्याज सहित पैसा जमा कराने को तैयार है । इस हेतु कमीश्नर से अनुमति लेनी होती है अब कानूनन प्रार्थी की अवधि समाप्त हो चुकी है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (पंकज कुमार ओझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा